न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
017/2012 (GCMS 2012/00013)	03.09.2012	30.05.2024

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

प्रबंधक, बिरला सीमेंट वर्क्स चन्देरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

उपस्थिति :– भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) प्रार्थी
भारत भूषण प्रधान अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम चन्देरिया तहसील चित्तौड़गढ़ की साबिक आराजी नम्बर 149 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा किस्म नाडा आराजी संख्या 150 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा (किस्म पडत प्रथम 17 बीघा 10 बिस्वा, किस्म पालबन्दा 07 बिस्वा), आराजी संख्या 162 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा किस्म नाली होकर मेवाड बन्दोबस्त में बिलानाम सरकार दर्ज थी। उक्त आराजी के मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन आराजी नंबर 326 रकबा 11.28 हैक्टेयर बने है। इसमें से 1.64 हैक्टेयर भूमि उक्त मेवाड बन्दोबस्त की आराजी संख्या 149, 150 एवं 162 से बने है। उक्त नवीन आराजी की किस्म फैक्ट्री होकर जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 में बिरला सीमेंट फैक्ट्री के नाम से दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी जो नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 29.03.1962 से दर्ज किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के डी. बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 श्री अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 के निर्देशानुसार 15 अगस्त 1947 के समय के मौका एवं रेकार्ड की स्थिति को यथावत रखने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः ग्राम चन्देरिया की आराजी नम्बर 326 रकबा 11.28 हैक्टेयर में से 1.64

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हैक्टेयर भूमि का बिलानाम सरकार नाडा, नाली एवं पाल बन्दा दर्ज की जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी की ओर से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र एवं जवाब/प्रारम्भिक पेश किया। विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम चन्देरिया की मेवाड़ बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 149 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा किस्म नाडा आराजी संख्या 150 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा (किस्म प. ।।। 17 बीघा 10 बिस्वा, किस्म पालबन्दा 01 बीघा 02 बिस्वा), आराजी संख्या 162 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि किस्म नाली बिलानाम दर्ज थी। उक्त भूमि की किस्म नाली होने से इसे किसी भी व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं की जा सकती थी। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, एवं जलाशय की भूमि पर निजी खाातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 149,150 व 162 किस्म नाली दर्ज थी। उक्त किस्म की भूमि को किसी भी व्यक्ति को कृषि अथवा अन्य प्रयोजनार्थ आवन्टन नहीं किया जा सकता था। गत बन्दोबस्त के आराजी नम्बर 149,150 व 162 के नवीन बन्दोबस्त की आराजी संख्या 326 रकबा 11.28 हैक्टेयर में से 1.64 हैक्टेयर नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 29.03.1962 से राजस्व रेकार्ड में विपक्षी के नाम में अंकन है जो विधि–विपरीत होने से उक्त नामान्तरकरण निरस्त कराये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस समाप्त की।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपने जवाब/प्रारम्भिक आपत्ति में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत उस किसी भी कार्यवाही के संबंध में रेफरेन्स किया जा सकता है जो अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन हो या निर्णित हो, संबंधित प्रकरण में किसी भी अधीनस्थ न्यायालय का कोई ऐसा निर्णय या आदेश नहीं है जिसके कारण यह रेफरेंस पोषणीय हो सकें। इस कारण से यह रेफरेंस चलने योग्य नहीं है।

इसके साथ ही आराजीयात जैरबहस की मेवाड रियासत के समय क्या स्थिति थी वह विपक्षी की जानकारी में नहीं है। उक्त आराजीयात वर्तमान में बिरला सीमेंट वर्क्स के नाम पर अंकित है। माननीय न्यायालय ने जो भी निर्णय प्रसारित किया है वह उन प्रकरणों में लागू होते है जिनमें अनाधिकृत या अवैध कब्जा किया गया हों। बिरला सीमेंट को उक्त वर्णित आराजीयात राजस्थान सरकार द्वारा पंजीकृत लीज डीड के आधार पर प्रदत्त की गई है और उस लीज डीड के द्वारा प्रदत्त की गई जमीन के संबंध में कोई भी कार्यवाही उस लीज डीड को विधिक प्रक्रिया द्वारा समाप्त करने या और संशोधन करने से ही संभव है न कि इस रेफरेंस प्रार्थना–पत्र के द्वारा। माननीय उच्च न्यायालय के व सर्वोच्च न्यायालय के जो भी निर्णय है उनकी भावना व उनमें दिये गये निर्देशों की मंशा यह है कि पर्यावरण बिगाडा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न जावें जंगल यथावत रहे, नदी, तालाबों का प्रवाह अनवरत रहे और उत्तरदाता कम्पनी ने संबंधित जमीन में कोई अवरोध ऐसा न किया है जिससे उसका स्वरूप बदले या और पानी का बहाव अवरूद्ध हों। वह नाले वाली भूमि उसी स्वरूप में है व नाला यथावत है। अतः प्रारम्भिक आपत्ति मय जवाब स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निरस्त फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस समाप्त की।

हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक परिशीलन/परीक्षण/अध्ययन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। तथ्यों का गहनता पूर्वक चिंतन/मनन/परिशीलन किया गया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि मौजा चन्देरिया तहसील चित्तौड़गढ़ की हाल आराजी नम्बर 326 रकबा 11.28 हैक्टेयर वर्तमान में सीमेंट फैक्ट्री (लीज 99 वर्ष) के दर्ज रिकार्ड है, उक्त अप्रार्थी के नाम पर दर्ज अभिलिखित आराजीयात गत भू–प्रबंध में किस्म ''**नाडा, नाली एवं पालबन्दा**'' दर्ज रेकार्ड रही है जिससे उक्त भूमि व्यक्ति विशेष के खातेदारी में रहने योग्य नहीं होने से बिलानाम किये जाने हेतु प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के तहत प्रस्तुत किया गया है। हमने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 का अवलोकन किया। अधिनियम की धाराओं में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये है :–

82. Power to call for records and proceedings and reference to State Government of Board –

The Settlement Commissioner or the Director of Land Records 61[or a Collector] may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or properiety of the order passed and as to the regularity of proceedings; and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement;and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit.

232. Power to call for record and refer to the Board—

The Collector may call for and examine the record of any case or proceedings decided by or pending before and revenue court subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order or decree passed and as to the regularity of the proceedings, and, if he is of opinion that the order or decree passed or the proceeding taken by such court should be varied, cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board shall, thereupon, pass such order as it thinks fit:

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Provided that the power conferred by this section shall not be exercised in respect of suits or proceedings falling within the purview of section 239

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत जिला कलक्टर को अधीनस्थ किसी न्यायालय या राजकीय अधिकारी के द्वारा निर्णित प्रकरण या कार्यवाही के अभिलेख को मंगाने एवं परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है, ऐसा परीक्षण इस दृष्टि से किया जाता है कि प्रश्नगत निर्णय की विधिकता, औचित्य एवं कार्यवाहियों की नियमितता रही है या नहीं, इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के तहत जिला कलक्टर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित किये गये राजस्व मामलों के अभिलेख को तलब कर परीक्षण कर सकता है और परीक्षण उपरान्त अपनी राय का उल्लेख करते हुए विवादित आदेश को निरस्त/संशोधित व बदलने के लिये माननीय राजस्व मण्डल को रेफर कर सकता है। उक्त दोनों प्रावधानों में समय सीमा विहित नहीं की गई है।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा इस तथ्य को निर्विवाद रूप से प्रमाणित कराया गया है कि मौजा चन्देरिया की हाल आराजी नम्बर 326 रकबा 11.28 हैक्टेयर वर्तमान में सीमेंट फैक्ट्री (लीज 99 वर्ष) के दर्ज रिकार्ड है जिसकी पुष्ठि पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2065–2068 के खाता संख्या 133 से होती है एवं इस तथ्य को अप्रार्थी द्वारा स्वयं अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही इस नकल जमाबंदी से यह तथ्य भी प्रमाणित पाया जाता है कि आराजी संख्या 326 रकबा 11.28 हैक्टेयर की किस्म भूमि ''**फैक्ट्री**'' दर्ज रेकार्ड है। इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 29.03.1962 से अप्रार्थी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ के नाम पर दर्ज रेकार्ड की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी मेवाड सेंटलमेंट विभाग उदयपुर मौजा चन्देरिया संवत् 1999 अनुसार आराजी संख्या 149 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा किस्म नाडा, आराजी संख्या 162 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा किस्म नाली व आराजी संख्या 150 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा भूमि किस्म (प. ।।। रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा, पालबन्दा 1 बीघा 2 बिस्वा) दर्ज रेकार्ड रही है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा नकल जमाबंदी/मिलान क्षेत्रफल इत्यादि राजस्व रिकार्ड से सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में किस्म नाडा, नाली एवं पालबंदा की भूमि रही है। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार किस्म नाडा, नाली की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 में निम्न प्रावधित किये गये है :–

16 Land on which Khatedari rights shall not accrue-

Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-

(iii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

88 All roads etc. and all land which are not the property of others belong to the State

(1) All public roads, lanes, paths, bridges and ditches; all fences on or beside the all rivers, streams, lakes and tanks, all canals and watercourses, all standing

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

and flowing water, and all lands wherever situated, which are not the property of individuals or of bodies of person legally capable of holding property are except in so far as any rights of such persons or bodies may be established in over the same and except, may be otherwise provided in any law for the time being in force, and are hereby declared to be, with all rihts in or over the same or appertaining thereto, the property of the State; and it shall be lawful for the Collector subject to the 64[order of the Commissioner] to dispose of them in such manner as may be prescribed subject always to the rights of way and all other rights of the public or of individuals legally aubsisting.

(2) Where any property or any right in over any property is claimed by or on behalf of the State or by any person as against the State, it shall be lawful for the Collector, after formal inquiry of which due notice has been given to pass an order deciding the claim.

(3) Any suit instituted in any civil court after the expiration of any year from the date of any order passed under sub-section (1) of sub-section 92) or, if one more appeals have been made against such orders within the period of limitation, then from the date of any order passed by the final appellate authority, shall be dismissed (although limitation has not been set up as a defence) if the suit is brought to set aside such order or if the relief claimed is inconsistent with such order; provided that in the case of an order under sub-section (2), the plaintiff has had due notice of such order.

(4) Every person shall be deemed to have been due notice of an inquiry or order under this section, if notice there or has been given in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(5) Any order passed under sub-section (1) or sub-section (2) shall be enforceable by the Collector in the prescribed manner.

प्रश्नगत भूमि पूर्व में किस्म नाडा, नाली एवं पालबन्दा की भूमि अंकित होने से धारा 16 अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित श्रेणी की आराजीयात है। धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार इस प्रकार की भूमियां राजकीय भूमियों की श्रेणी में आती है, जिन पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है।

हस्तगत प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर द्वारा परित निर्णय रिट पीटीशन संख्या 1536/2004 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में दिये गये निर्देशो की पालना में क्रम में इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1536/2004 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये है :–

"(3) Suggestions for restoring the catchment areas to their original shape and use:

Looking to the site visit by the State Level Expert Committee in September 2003 and General Survey Reports received from the District Collectors and Chairmen.

District Expert Committee, following suggestions are made:

1. All land shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15.8.1947 should be declared as Govt. land. Any conversions made after 15.8.1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must beamended accordingly.
2. Demarcation of catchment areas should be done by construction pillars at suitable spacing depending upon size of the catchment area with the help of G.T. sheet of scale 1:25000 or 1:50000 and/or "Water Shed Atlas of

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Rajasthan" prepared by the State Remote Sensing Application Centre, Jodhpur.

3. Demarcation of drainage channels –
   (i) In unhabited areas this can be done by installing pillars at suitable spacing or by constructing side wall depending upon size of drainage channel and its importance.
   (ii) In urban and rural areas, the demarcation of drainage channels must essentially be done by constructing side walls of appropriate height and thickness.
4. In the government owned lakes and other water bodies, the Khatedari rights. of private persons in their submergence area should be brought under the ownership of the government.
5. The drainage channels in the catchment areas should be got inspected byengineering professionals and Patwatis. Wherever there are obstructions innalla, it should be suitably removed by constructing culverts, deepening and widening of nallas etc.
6. Wherever there are any construction activities, which may interfere with the flow of water in drainage channels, no objection certificate must be obtained from the irrigation department.
7. The Anicuts more than 2m height above deepest nalla bed should beidentified. The height more than 2m should be dismantled.
8. Wherever residential colonies have been constructed obstructing flow in drainage channels, the obstruction must be removed and nallas may be deepend and constructed
9. On the periphery of lakes, ponds, water bodies in urban and rural areas, a pucca drain should be constructed on periphery of the water body to prevent entry of domestic, industrial and other waste in the water body.
10. For soil conservation work, suitable guidelines must be issued by the "Watershed & Soil Conservation Department" so that these works make minimum possible interference with the flow of water.
11. The district administration should specify places for dumping varioustypes of waste material. If any body is found to dump the waste material in other places, particularly drainage channels, then suitable punishment should be provided in the law.
12. The government should use television, radio and newspapers to create awareness in this matter.
13. Possibility should be explored to use marble slurry as construction material, for filling depressions etc. as has been done for disposal of fly ash from thermal Power Houses.
14. The water quality of water bodies should regularly be monitored.
15. Wherever over-burden or waste materials generated from mines and processing units, have been dumped obstructing flow of water in drainage channels; diversion drains and check walls must be constructed. For that purpose, special condition should be incorporated in the lease/license agreement."
16. Having, given thoughtful consideration to the issue involved and the suggestions made, we direct the State Government to consider the recommendations of the Committee referred to above and chalk out a plan to take the effective steps. for restoring the catchment areas to their original shape. It is made clear that this order will not prevent the State Authorities

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

from drawing up or taking further step more effectively to fulfill the object of the directions issued by this court. Three months' time is granted for giving positive shape to the suggestions. The interim order dated 9.4.2003 granted by this Court is made absolute.

माननीय न्यायालय द्वारा यहॉ स्पष्ट निर्देश प्रदान किये गये कि सरकार के स्वामित्व वाली झीलों और अन्य जल निकायों में, खातेदारी अधिकार। डूब क्षेत्र में निजी व्यक्तियों की भूमि को सरकार के स्वामित्व में लाया जाये। जहां भी आवासीय कॉलोनियों का निर्माण जल निकासी चौनलों में प्रवाह को बाधित कर रहा है, अवरोध को हटाया जाना चाहिए और नालों को गहरा और निर्माण किया जाना चाहिए। जलग्रहण क्षेत्रों को उनके मूल स्वरूप में बहाल करने के लिए। यह स्पष्ट गया है। माननीय न्यायालय के निर्देशों के क्रम में ही राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 6(16)राज–6/99/9 दिनांक 16.07.2003 से प्रचारित किया गया है कि जोहड गबाई तालाब नाडी आदि जल संग्रहण कार्यो हेतु उपयोग में आने वाले भूमि तथा जल ग्रहण कार्यो के जो जल प्रवाह क्षेत्र में है आदि भूमियों का भविष्य में निर्माण कार्यो हेतु आवंटन नहीं किया जावें उन्हे फ्री रखा जावें।

इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर बैंच द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 29.05.2012 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 10(03)राज–6/01/पार्ट/17 दिनांक 23.09.2011 से प्रचारित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियों, जिनमें खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते का आवंटन अवैध है। ऐसा देखने में आया है कि जिला कलेक्टरों द्वारा एवं उनसे नीचे के अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों का आवंटन किया जा रहा है। अतः निर्देशित किया जाता हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमियों का आवंटन किसी भी दशा में नहीं किया जावें। यदि पूर्व में कोई आवंटन कर दिये गये हो तो विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर निरस्त करावे तथा बेदखली की कार्यवाही करें। निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा।

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर बैंच द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 29.05.2012 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये है :–

2 Instructions be issued restraining allotment of land falling in catchment areas of water reservoirs like Johar, Nala, Tank, river, pond etc. Infringement of instructions should be viewed seriously with follow-up action against the defaulting officers and the beneficiaries so that tendency of illegal allotment of land may be stopped at all levels.

3. Action may be taken for cancellation of allotments made in violation of section 16 of the Act of 1955 and other Rules and Regulations. Presently, details of the references sent to the Board of Revenue in regard to Ramgarh dam catchment area have been furnished to this court which are more than 400 by now. Similar drive for making reference to the Board of Revenue in regard to catchment areas of other water

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

reservoirs in the State of Rajasthan should be taken up so that with the cancellation of illegal allotments followed by removal of encroachments, water may flow to reservoirs like river, dam, nala, pond, Johar etc without obstruction.

माननीय न्यायालय द्वारा यहॉ स्पष्ट निर्देश प्रदान किये गये कि जोहड़, नाला, टैंक, नदी, तालाब आदि जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में आने वाली भूमि के आवंटन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए जाएं। निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए दोषी अधिकारियों और लाभार्थियों के खिलाफ अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि अवैध की प्रवृत्ति को रोका जा सके। हर स्तर पर भूमि आवंटन रोका जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं अन्य नियम एवं विनियम के उल्लंघन में किये गये आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में, रामगढ़ बांध जलग्रहण क्षेत्र के संबंध में राजस्व मंडल को भेजे गए संदर्भों का विवरण इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया है, जो अब तक 400 से अधिक हैं। राजस्थान राज्य में अन्य जल जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों के संबंध में राजस्व बोर्ड को संदर्भित करने के लिए इसी तरह का अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि अवैध आवंटन को रद्द करने और अतिक्रमण हटाने के साथ नदी जैसे जलाशयों में पानी प्रवाहित हो सके। बांध, नाला, तालाब, जोहड़ आदि बिना रुकावट के।

2019 SSC Online SC 1510 जितेंद्र सिंह बनाम पर्यावरण मंत्रालय और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ग्राम समुदायों में निहित सामान्य भूमि से संबंधित मुद्दे में निर्देशित किया गया है :–

Protection of such village-commons is essential to safeguard the fundamental right guaranteed by Article 21 of our Constitution. These common areas are the lifeline of village communities, and often sustain various chores and provide resources necessary for life. Waterbodies, specifically, are an important source of fishery and much needed potable water. Many areas of this country perennially face a water crisis and access to drinking water is woefully inadequate for most Indians. Allowing such invaluable community resources to be taken over by a few is hence grossly illegal."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए ऐसे ग्राम–सामुदायों की सुरक्षा आवश्यक है। ये सामान्य क्षेत्र ग्राम समुदायों की जीवन रेखा हैं, और अक्सर विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं और जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। जल निकाय, विशेष रूप से, मत्स्य पालन और अत्यधिक आवश्यक पीने योग्य पानी का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं। इस देश के कई क्षेत्र हमेशा जल संकट का सामना करते हैं और अधिकांश भारतीयों के लिए पीने के पानी तक पहुंच बेहद अपर्याप्त है। इसलिए ऐसे अमूल्य सामुदायिक संसाधनों पर कुछ लोगों को कब्ज़ा करने की अनुमति देना पूरी तरह से अवैध है।

अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब के साथ मियाद के तथ्य को उठाया जाकर 50 वर्षो के विलम्ब का तथ्य उठाया गया है। इस संबंध में अधिनियम 1955 की धारा 232 एवं अधिनियम 1956 की धारा 82 उक्त दोनों प्रावधानों में विधि द्वारा किसी भी प्रकार से कोई समय सीमा विहित नहीं की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित पाया गया है कि आराजीयात जैरबहस मौजा चन्देरिया तहसील चित्तौड़गढ़ की हाल आराजी नम्बर 326 रकबा 11.28 हैक्टेयर वर्तमान में सीमेंट फैक्ट्री (लीज 99 वर्ष) के दर्ज रिकार्ड है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में हाल आराजी संख्या 326 रकबा 11.28 हैक्टेयर के संबंध में प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ अवगत कराया गया है कि हाल आराजी संख्या 326 रकबा 11.28 हैक्टेयर साबिक आराजी संख्या 149, 150 व 162 से कायम की गई है। साबिक आराजी संख्या 149, 150 व 162 का कुलिया रकबा 29 बीघा 02 बिस्वा भूमि है, जबकि हाल आराजी संख्या 326 का रकबा 11.28 हैक्टेयर है जो कि साबिक आराजी संख्या 149, 150 व 162 के कुलिया रकबे से अधिक है। इससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि हाल आराजी संख्या 326 का निर्माण अन्य आराजी से भी हुआ है। इसके साथ ही प्रार्थी तहसीलदार रेफरेंस प्रार्थना–पत्र के माध्यम से हाल आराजी संख्या 326 रकबा 11.28 हैक्टेयर में से 1.64 हैक्टेयर के संबंध में अनुतोष चाहा गया है एवं इस संबंध में प्रार्थी तहसीलदार द्वारा अवगत कराया गया है कि हाल आराजी संख्या 326 रकबा 11.28 हैक्टेयर में से 1.64 हैक्टेयर साबिक आराजी संख्या 149, 150 एवं 162 से कायम की गई है, किन्तु साबिक आराजी संख्या 149, 150 व 162 का कुलिया रकबा 29 बीघा 02 बिस्वा है एवं उक्त में किस्म नाडा, नाली एवं पालबन्दा का क्रमशः रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, 01 बीघा 02 बिस्वा एवं 5 बीघा 5 बिस्वा कुल 11 बीघा 02 बिस्वा होता है जो कि प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा आवेदित रकबा 1.64 हैक्टेयर से अधिक है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार चित्तौड़गढ़ अपने रेफरेंस प्रार्थना–पत्र इस संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है कि हाल आराजी संख्या 11.28 हैक्टेयर में से 1.64 हैक्टेयर भूमि बिलानाम किये जाने हेतु आवेदन का आधार क्या है एवं ना ही इस संबंध में प्रार्थी तहसीलदार द्वारा किसी भी प्रकार से कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। इसके साथ ही प्रार्थी तहसीलदार द्वारा वर्तमान में मौके की क्या स्थिति है इस संबंध में तहसीलदार द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किए है

प्रश्नगत भूमि पूर्व में किस्म नाडा, नाली एवं पालबंदा की भूमि अंकित होने से धारा 16 अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित श्रेणी की आराजीयात है। धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अनुसार इस प्रकार की भूमियां राजकीय भूमियों की श्रेणी में आती है, जिन पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है, परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि से संबंधित तत्कालीन समय का संपूर्ण राजस्व रिकार्ड और खसरा मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं हुआ है। इसके बिना इस भूमि के संबंध में किसी विधिसंगत निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सकता है। अतः इस संबंध में प्रकरण तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को निम्न निर्देशों के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है।

- विवादित आराजी संख्या 326 रकबा 11.28 हैक्टेयर का संवत् 1999 के पश्चात् किस प्रकार से आवंटन/नियमन किया गया है एवं इस संबंध में संबंधित अभिलेख का परीक्षण कर यह निर्धारित करे कि प्रश्नगत आवंटन व नामान्तरकरण प्रक्रिया नियमानुकुल, वैध एवं औचित्यपूर्ण है या नहीं ?

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

- विवादित आराजी संख्या 326 रकबा 11.28 हैक्टेयर भूमि का निर्माण किन–किन साबिक आराजीयात से हुआ है, तथा इस संबंध में रकबे का सही मिलान किया जाकर मौके की वर्तमान स्थिति का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जावें।
- विवादित आराजी संख्या 326 रकबा 11.28 हैक्टेयर में से 1.64 हैक्टेयर भूमि बाबत् ही आवेदन प्रस्तुत किये जाने का आधार क्या है।
- विवादित भूमि के जलोट या जलीय निकाय की होने की स्थिति की जांच आवंटन के समय के रेकार्ड एवं वर्तमान स्थिति का मौका निरीक्षण/परीक्षण किया जावें। समस्त दस्तावेजों, अभिलेख व तथ्यों के साथ आवश्यक हो तो, तहसीलदार चित्तौड़गढ़ नये सिरे से रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र जिसमें अपेक्षित/संबंधित अभिलेख जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न हो एवं अधिनियम की धारा 232 एवं 82 में अंकित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये प्रार्थना–पत्र में समस्त तथ्यों को संयोजित करते हुए बोलता हुआ प्रार्थना–पत्र **(SELF SPEAKING)** के रूप में जो **"Reasoned and speaking"** हो प्रस्तुत करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **30.05.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official